भारतीय वहन-पत्र अधिनियम, 1856

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका।

1. वहन-पत्रों के अधीन अधिकारों का परेषिती या पृष्ठांकिती में निहित होना।

2. अभिवहन में रोकने के या भाड़े के लिए दावों के अधिकार पर प्रभाव न पड़ना।

3. परेषिती आदि के पास वहन-पत्र का मास्टर आदि के विरुद्ध लदान का निश्चायक साक्ष्य होना।

[1]भारतीय वहन-पत्र अधिनियम, 1856

(1856 का अधिनियम संख्यांक 9)

[11 अप्रैल, 1856]

**वहन-पत्रों से सम्बन्धित विधि का
संशोधन करने के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—यत: वणिकों की रुढ़ि द्वारा माल के वहन-पत्र के पृष्ठांकन से अन्तरणीय होने के कारण, माल में स्वत्व उसके द्वारा पृष्ठांकिती को संक्रान्त हो सकता है किन्तु फिर भी वहन-पत्र में अन्तर्विष्ट संविदा के बारे में सब अधिकार मूल माल भेजने वाले या स्वामी में निहित रहते हैं, और यह समीचीन है कि ऐसे अधिकार स्वत्व के साथ संक्रांत होने चाहिएं; तथा यत: प्राय: ऐसा होता है कि वह माल जिसके बारे में वहन-पत्र हस्ताक्षरित किए गए तात्पर्यित होते हैं, जलयान पर नहीं चढ़ाया जाता है और यह उचित है कि मूल्य के लिए सद्भावपूर्वक धारक के पास ऐसे वहन-पत्र, मास्टर या उस पर हस्ताक्षर करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किए जाने चाहिएं कि माल पूर्वोक्त रूप से चढ़ाया नहीं गया है । अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. वहन-पत्रों के अधीन अधिकारों का परेषिती या पृष्ठांकिती में निहित होना—किसी वहन-पत्र में नामित प्रत्येक माल परेषिती को, तथा किसी वहन-पत्र के प्रत्येक पृष्ठांकिती को, जिसको उसमें वर्णित माल में स्वत्व ऐसे परेषण या पृष्ठांकन पर या उसके कारण संक्रांत होगा, बाद के सब अधिकार अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे तथा वह ऐसे माल के बारे में उन्हीं दायित्वों के अधीन इस प्रकार होगा मानो उस वहन-पत्र में अन्तर्विष्ट संविदा उसी के साथ की गई हो ।

2. अभिवहन में रोकने के या भाड़े के लिए दावों के अधिकार पर प्रभाव न पड़ना—इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात से [2]अभिवहन में रोकने के किसी अधिकार पर, या मूल माल भेजने वाले या स्वामी के विरुद्ध भाड़े का दावा करने के किसी अधिकार पर अथवा परेषिती या पृष्ठांकिती के ऐसे परेषिती या पृष्ठांकिती होने के कारण या परिणामस्वरूप या ऐसे परेषण या पृष्ठांकन के कारण या परिणामस्वरूप उसके द्वारा माल की प्राप्ति के कारण या परिणामस्वरूप उसके किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या वह प्रभावित नहीं होगा ।

3. परेषिती आदि के पास वहन-पत्र का मास्टर आदि के विरुद्ध लदान का निश्चायक साक्ष्य होना—मूल्यवान प्रतिफल के लिए परेषिती या पृष्ठांकिती के पास प्रत्येक वहन-पत्र जो किसी जलयान पर माल का लादा जाना प्रतिदर्शित करता है, मास्टर या उस पर हस्ताक्षर करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे लदान का इस बात के होते हुए भी कि माल या उसके किसी भाग का इस प्रकार लदान न किया गया हो उस दशा के सिवाय निश्चायक साक्ष्य होगा जब कि वहन-पत्र के ऐसे धारक को उसे प्राप्त करने के समय वास्तव में यह सूचना थी कि माल वस्तुत: जलयान पर नहीं लादा गया था :

परन्तु मास्टर या ऐसे हस्ताक्षर करने वाला कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसे दुर्व्यपदेशन से यह दर्शित करके विमुक्त कर सकेगा कि वह उसकी ओर से किसी व्यतिक्रम के बिना और पूर्णत: माल भेजने वाले के या धारक के या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके अधीन धारक दावा करता है, कपट के कारण हुआ है ।

---

[1] संक्षिप्त नाम, भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 (1897 का 14) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा दिया गया ।

यह अधिनियम वहन-पत्र अधिनियम, 1855 (18 और 19 विक्ट०, सी० 111) पर आधारित है ।

यह भाग ख राज्यों तथा अनुसूचित जिलों के सिवाय सम्पूर्ण भारत में विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 (1874 का 15) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त घोषित किया गया है ।

1949 के अधिनियम 18 की धारा 4 द्वारा भूतपूर्व भाग ख राज्यों पर विस्तारित है ।

1968 के अधिनियम 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा इसका पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार किया गया ।

अनुसूचित जिले अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा इसे निम्नलिखित अनुसूचित जिलों में प्रवृत्त घोषित किया गया है, अर्थात् :—

पश्चिमी जलपाइगुड़ी, भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृष्ठ 74 देखिए ।

हजारीबाग, लोहारडागा (अब रांची जिला, कलकत्ता गजट, 1899, भाग 1, पृष्ठ 44 देखिए) तथा मानभूम जिले और सिंगभूम जिले में परगना डालभूम और कोल्हन, भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृष्ठ 504 देखिए ।

आसाम (नार्थ लुशाई हिल्स के सिवाय), भारत का राजपत्र, 1897, भाग 1, पृष्ठ 299 देखिए ।

[2] अभिवहन के रोकने के बारे में भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 99-106 देखिए ।